श्री चामुण्डा नन्दिकेश्वर मन्दिर न्यास चामुण्डा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 01.01.2011 से 31.12.2011

भाग—एक

1 **(i) प्रस्तावना** :—

(i) वर्तमान लेखा परीक्षा/संपरीक्षा अवधि के दौरान निम्न अधिकारी मन्दिर न्यास के आहरण/संवितरण अधिकारी के पदों पर कार्यरत रहे।

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री एल0आर0 कौंडल	01.01.2011 से 13.05.2011
2	श्री वचित्र सिंह	13.05.2011 से लगातार

(ii) गम्भीर अनियमितताओं का सार :—

1	बिना रेट कौन्ट्रैक के ₹47,939 की खरीद	पैरा 8
2	₹1,50,000 के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे	पैरा 9
3	ठेकेदार को ₹4,60,073 का अनुचित लाभ दिया जाना	पैरा 10(i)
3	केन्द्रीय पूल में दी गई ₹3,50,000 के अनुचित भुगतान बारे	पैरा 12
4	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना ₹28,000 का भुगतान मैसर्ज़ मॉडर्न टैक्नोलोजिज़ फरीदाबाद को करने बारे	पैरा 17

(iii) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :— गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों से सम्बन्धित विवरण परिशिष्ट ''क'' पर दिया गया है।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :–

श्री चामुण्डा नन्दिकेश्वर मन्दिर न्यास चामुण्डा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों अवधि जनवरी, 2011 से दिसम्बर 2011 तक वर्तमान अंकेक्षण श्री तरवीज़ कुमार, अनुभाग अधिकारी तथा श्री भवनीश पुरी, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 18.02.2012 से 19.03.2012 के दौरान चामुण्डा में किया गया जिसके परिणाम आगामी अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए हैं। माह 06/2011 को आय और माह 10/2011 को व्यय की विस्तृत जाँच हेतु चुना गया है।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को मन्दिर अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रस्तुत नहीं की गई है की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की जिम्मेदारी केवल विस्तृत जाँच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क :–

चामुण्डा नन्दिकेश्वर मन्दिर न्यास चामुण्डा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01/2011 से 12/2011 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹24,200 आंका गया है। उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु मन्दिर अधिकारी से निदेशक, स्थानीय निधि लेखा हिमाचल प्रदेश शिमला–9 के नाम बैंक ड्राफ्ट बनाकर भेजने के लिए अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 257, दिनांक 19.03.2012 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति :–

मन्दिर न्यास द्वारा प्रस्तुत श्री चामुण्डा नन्दिकेश्वर मन्दिर, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2011 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है :–

वर्ष 2011	
प्रारम्भिक शेष	3,12,54,488.30
प्राप्तियाँ	2,66,21,971.39
ब्याज	7,82,567.04
कुल योग	5,86,59,026.73

व्यय	2,79,39,417.00
अन्तिम शेष	3,07,19,609.73
दिनांक 31.12.2011 को बैंक में जमा राशि	**3,08,41,422.73**
रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेष	**3,07,19,609.73**
अन्तर	**1,21,813.00**

अन्तर का कारण :–

चैक जो जारी किए गए परन्तु दिनांक 31.12.2011 तक बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुएः–

क्रम संख्या	चैक संख्या	दिनांक	जिसे जारी किए गए	राशि
1	001613	26.10.10	अनिल गैस सर्विस धर्मशाला	14,250.00
2	740807	23.11.11	सैनी इन्टरप्राईजेज़	750.00
3	740953	10.12.11	संजीव कुमार	2,683.00
4	740954	10.12.11	पुष्पा देवी	2,683.00
5	49943	10.12.11	दशहरा कमेटी जयसिंहपुर	10,000.00
6	49943	20.12.11	हिमाचल इन्डस्ट्रीज नगरोटा	4,147.00
7	49948	29.12.11	सैक्टरी एच0पी0बी0ए0 नादौन	5,000.00
8	49949	29.12.11	कामनडण्ट एच0एच0पी0 शिमला	6,300.00
9	50101	31.12.11	सुलभ इन्ट्रनैश्नल चण्डीगढ़	76,000.00
			कुल योग	**₹1,21,813.00**

अन्तशेष का विवरण :–

दिनांक 31.12.2011 को बैंक में जमा राशि	**₹21,30,890.73**
सावधिक जमा में निवेश	**₹2,87,10,532.00**
कुल जोड़	**₹3,08,41,422.73**

दिनांक 31.12.2011 को बैंक जमा का विवरण :–

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1	सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया चामुण्डा	2353807064	17,09,618.00
2	सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया चामुण्डा	2353808591	2,56,739.36
3	स्टेट बैंक आफ इण्डिया धर्मशाला	10551097090	1,23,999.03
4	कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक पठियार	20105004951	21,185.00
5	पंजाब नैशनल बैंक नगरोटा बगवां	0802000102365502	17,058.20
6	एच0डी0एफ0सी0 बैंक धर्मशाला	060501450000049	1,677.14
7	यूकों बैंक पालमपुर	18780110005606	614.00
		कुल जोड़	**₹21,30,890.73**

निवेश :– श्री चामुण्डा नन्दिकेश्वर मन्दिर न्यास चामुण्डा द्वारा ₹2,87,10,532.00 परिशिष्ट ''ख'' के अनुसार दिनांक 31.12.2011 को सावधि जमा में निवेश किए गए हैं।

5 **सोना** :–

सोने की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है जिसका विवरण मन्दिर न्यास अधिकारी द्वारा परिशिष्ट ''ख'' पर दिया गया है :–

	किलोग्राम	ग्राम	मिली ग्राम
वर्ष 2011 का प्रारम्भिक शेष	008	930	768
स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्याः 33 पर सोने की मात्रा की प्राप्ति	(–) 000	48	500
वर्ष 2011 का दरूस्ती उपरान्त आरम्भिक शेष	008	882	268
वर्ष 2011 में प्राप्त सोने की मात्रा	(+) 000	620	930
वर्ष 2011 का अन्तशेष	009	503	198
दिनांक 31.12.11 को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज सोने की मात्रा	009	503	198

<u>स्टॉक रजिस्टर के अनुसार अन्तशेष का विवरण</u> :–

	किलोग्राम	ग्राम	मिली ग्राम
दिनांक 31.12.11 को सेफ में जमा मात्रा	007	031	308
पुजारियों के पास श्रृंगार हेतु मात्रा	002	471	890
दिनांक 31.12.11 को कुल मात्रा	**009**	**503**	**198**

6 <u>चांदी</u> :–

चांदी की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है जिसका विवरण मन्दिर न्यास अधिकारी द्वारा परिशिष्ट ''घ'' पर दिया गया है :–

	किलोग्राम	ग्राम	मिली ग्राम
वर्ष 2011 का आरम्भिक शेष	612	383	989
वर्ष 2011 में प्राप्त चांदी की मात्रा	(+) 25	956	500
योग	**638**	**340**	**489**
दिनांक 02.04.11 को चांदी के बर्तनों को तैयार कने के दौरान खारिज चांदी	(–) 12	350	000
अन्तशेष (ए)	**625**	**990**	**489**

<u>अन्तशेष का विवरण</u> :–

(i) स्टॉक रजिस्टर के अनुसार शेष	474	115	822
(ii) शिव मन्दिर के प्रयोग हेतु जारी चांदी (जिसे शिव मन्दिर के स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाए)	9	200	000
योग (i) + (ii) = (बी)	**483**	**315**	**822**
अन्तर (ए) – (बी)	**142**	**674**	**667**

अन्तर का कारण :–

	किलोग्राम	ग्राम	मिली ग्राम
(i) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2005 के पैरा संख्याः ''क व ख'' में दिए विवरणानुसार कम दर्शाई गई मात्रा	142	501	842
(ii) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2006–07 के पैरा संख्याः 7 में दर्शाई गई चांदी की कम मात्रा (जिसकी वसूली रसीद संख्याः 499/24620, दिनांक 24.06.09 द्वारा कर ली गई है।)	0	172	825
योग (i) + (ii)	**142**	**674**	**667**

अतः उपरोक्त अन्तर का प्रकरण पुनः आयुक्त मन्दिर न्यास के ध्यान में इस आशय के साथ लाया जाता है कि स्टॉक रजिस्टर में चांदी की उक्त कम मात्रा की पूर्ण छानबीन करके परिणामों से शीघ्र इस विभाग को अवगत किया जाए।

7 **बिना कोटेशन की खरीद बारे** :–

(i) वाऊचर संख्या 12, दिनांक 09.08.11 द्वारा ₹3,926 का भुगतान मैं0 वालिया स्टेशनरी एण्ड स्पोटर्स धर्मशाला को उनके बिल संख्याः 002210, दिनांक 20.07.11 के अर्न्तगत स्टेशनरी के सामान की खरीद हेतु किया गया जिससे सम्बन्धित कोटेशन ऑडिट को उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः बिना कोटेशन आमन्त्रित की खरीद का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा उक्त अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

(ii) ₹1,73,834 का भुगतान मै0 दी पठियार को–अप कृषि सेवा सहकारी समिति को वाऊचर संख्याः 53, दिनांक 14.09.11 के अन्तर्गत निम्न प्रकार से किया गया।

बिल नम्बर	दिनांक	राशि
517	27.08.11	70,285.83
518	27.08.11	50,970.70

520	27.08.11	46,248.00
521	28.08.11	4,086.00
522	28.08.11	2,243.00
	कुल योग	**1,73,834.33**

उपरोक्त खरीद के सम्बन्ध में मन्दिर प्रशासन के द्वारा अंकेक्षण के दौरान कोटेशने प्रस्तुत नहीं की गई। अतः वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किए जाए अन्यथा बिना कोटेशन के सामान की खरीद का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व भविष्य हेतु इस प्रकार की अनियमितता पर पूर्णतया अंकुश लगाया जाए।

8 बिना रेट कन्ट्रैक्ट की खरीद बारे :–

वाऊचर संख्याः 54, दिनांक 18.10.11, ₹47,939 का भुगतान मैं0 अशोका स्टील फर्नीचर इन्डस्ट्रीज मण्डी को फर्नीचर की खरीद का दर्शाया गया। इस खरीद से सम्बन्धित जो रेट कन्ट्रैक्ट ऑडिट को दिखाया गया वह 31.03.11 तक वैद्य है। अतः बिना रेट कन्ट्रैक्ट के फर्नीचर की खरीद का औचित्य स्पष्ट किया जाए व कृत कार्यवाही आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाए।

9 उपयोगिता प्रमाण पत्र ऑडिट को न उपलब्ध करवाने बारे :–

वाऊचर संख्याः 78, दिनांक 22.09.11 द्वारा ₹1,50,000 का भुगतान अधिशाषी अभियन्ता हिमाचल प्रदेश स्टेट बिजली बोर्ड धर्मशाला को शापिंग कम्पलैक्स/माल में बिजली के खम्बे इत्यादि लगाने के लिए अग्रिम राशि के रूप में किया गया है जिससे सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र ऑडिट को उपलब्ध नहीं करवाया गया। अतः सम्बन्धित विभाग से उपयोगिता प्रमाण पत्र लेकर आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाना सुनिश्चित किया जाए।

10 वाऊचर संख्याः 91, दिनांक 29.10.11, ₹44,12,418 :–

कार्य का नाम	Construction of Shopping Mall in Shree Chamunda Temple
संविदाकार का नाम	श्री विनय गर्ग, गांव व डाकघर घुरकड़ी, तहसील कांगड़ा
अनुमानित राशि	₹1,81,50,000
माप पुस्तिका	42 (पेज 38 से 41)

बिल First Running Bill

उपरोक्त निर्माण कार्य मन्दिर न्यास श्री चामुण्डा नन्दिकेश्वर धाम–चामुण्डा द्वारा श्री विनय गर्ग को पत्र संख्याः 3198 से 3205, दिनांक 08.12.10 द्वारा कुल ₹1,81,50,000 में आबंटित किया गया है। ऑडिट द्वारा अभिलेख की जाँच उपरान्त निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई।

(i) ठेकेदारों द्वारा भरे गए टैण्डर फार्म में मद वार राशियों के योग उपरान्त पाया गया कि मैसर्ज सुरिन्द्रा ट्रेडर्ज गांव व डाकघर योल द्वारा जो राशियां टैण्डर फार्म में अंकित हैं उनका कुल योग ₹1,76,89,927 बनता है जबकि तुलनात्मक विवरणी में इसे ₹1,83,74,467 दर्शाया गया है। श्री विनय गर्ग द्वारा जो राशियां टैण्डर फार्म में अंकित है उनका कुल योग ₹1,81,63,547 बनता है तथा यह कार्य विनय गर्ग को Negotiation उपरान्त ₹1,81,50,000 में आबंटित किया गया है जबकि यह कार्य श्री सुरेन्द्रा ट्रैडर्ज को ₹1,76,89,927 में Negotiation के उपरान्त आबंटित किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार श्री विनय गर्ग को कम से कम ₹4,60,073 का अनुचित लाभ दिया गया है। अतः मन्दिर प्रशासन को परामर्श दिया जाता है कि तथ्यों की छानबीन करके इस प्रकार से यथोचित कार्रवाई अमल में लाई जाए व कृत कार्रवाई की अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाए।

(ii) मद संख्याः 8 ''Boulder Filling Dry Hand Packed Tightly Under the Floor etc''

माप पुस्तिका अनुसार उपरोक्त मद में दर्शाये गए कार्य का जोड 170.13 cum^3 दर्शाया गया है तथा बाद में 2 की जगह 3 किया गया है तथा अन्तिम शेष भुगतान करते समय इस मद को 255.19 cum^3 दर्शाया गया तथा ₹300 प्रति cum^3 की दर से ₹76,557 का भुगतान किया गया जबकि यह भुगतान वास्तविक मात्रा 170.13 cum^3 का ₹300 प्रति cum^3 की दर से ₹51,039 बनाना हैं । इस प्रकार सम्बन्धित इस मद में ₹25,518 का अधिक भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस अधिक भुगतान को आगामी विपत्र में समायोजित किया जाए।

(iii) उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित एम0बी0 को किसी भी उच्च अधिकारी द्वारा सत्यापित/टैस्ट चैक नहीं किया गया है जिसका भविष्य में टैस्ट चैक करवाना सुनिश्चित किया जाए।

(iv) उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित किए गए अनुबन्ध (Agreement) की कापी ऑडिट को नहीं दिखाई गई जिसे आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाना सुनिश्चित किया जाए।

11 **<u>वाऊचर संख्याः 37, दिनांक 11.11.11, राशि ₹93,832</u> :–**

कार्य का नाम	''Construction of Green Park Ms Benches Path Fountain Flower and Korean Grass with small portion''
अनुबन्ध संख्या	92/2010
अनुमानित राशि	₹14,97,537
वर्क आर्डर	260 से 265, दिनांक 16.01.10
बिल	4th Running Bill
माप पुस्तिका	38 (पेज 44 से 46)

उपरोक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित टैण्डर फार्म में दर्शाई गई निम्नविवरणानुसार मद संख्याः 13 व 14 का निष्पादन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा यह कार्य समय पर पूर्ण नहीं किया है तथा उक्त कार्य हेतु पानी की सप्लाई भी मन्दिर न्यास द्वारा की गई है।

मद 13	चिल्डरन गेमज़ आदि	₹1,68,000
मद 14	फवारा	₹25,000
	कुल जोड	**₹1,93,000**

अतः उपरोक्त बचे कार्य को अनुबन्ध अनुसार पूर्ण करवाया जाए इसके अतिरिक्त सम्बन्धित ठेकेदार से कार्य समय पर न करने के लिए अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार दण्ड वसूलना व उक्त से कार्य पर पानी की सप्लाई हेतु ठेकेदार से 1% की दर से वसूली की जाए।

12 **<u>केन्द्रीय पूल में दी गई ₹3,50,000 के अनुचित भुगतान बारे</u> :–**

मन्दिर न्यास के अभिलेख की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि वर्ष 2011 में ₹3,50,000 केन्द्रीय पूल में जमा करवाए गए। पूर्व में भी मन्दिर न्यास निधि से लाखों रुपये की राशि प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय पूल में जमा करवाई जा रही है जिसके बारे में अंकेक्षण प्रतिवेदनों में आपत्ति उठाई जाती रही है।

ऐसा प्रतीत होता है कि जब मन्दिर का बजट तैयार व पारित करवाया जाता हे तो जानबूझ कर बजट में केन्द्रीय पूल के लिए धन का प्रावधान करवाया जाता है जोकि उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था ओर पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 के चैप्टर–VI "Budget and Maintenance of Accounts" के नियम 22(1) (2)(3) व (4) के अर्न्तगत आयुक्त मन्दिर को केन्द्रीय पूल जैसी मद के लिए हर वर्ष बजट से खर्चा करने का कोई अधिकार प्राधिकृत नही है। अतः इस प्रकरण में ठोस तथ्यो सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा मन्दिर निधि से आजतक केन्द्रीय पूल में जमा करवाई गई धन राशि को मन्दिर न्यास निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए। अंकेक्षण अवधि तक जो धन राशि मन्दिर न्यास निधि से केन्द्रीय पूल में जमा करवाई गई है उसका वर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

क्रमांक	**वर्ष**	**राशि**
1	1995	1,00,000
2	1997	1,50,000
3	1998	1,00,000
4	1999	1,00,000
5	2001	50,000
6	2002	50,000
7	2003	50,000
8	2004	1,00,000
9	2005	1,50,000
10	2006	1,50,000
11	2007	1,50,000
12	2008	1,50,000
13	2009	3,00,000
14	2010	3,00,000
15	2011	3,50,000
	कुल योग	**₹22,50,000**

अतः यह मामला हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव (भाषा) और आयुक्त (मन्दिर) के ध्यान में विशेष रूप से लाया जाता है।

13 <u>भुगतान की रसीदें ऑडिट को न दिखाने बारे</u> :—

(i) वाऊचर संख्याः 5, दिनांक 03.10.11 द्वारा ₹12,120 का भुगतान मन्दिर न्यास में कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों को किया गया दर्शाया गया है। ऑडिट द्वारा रिकॉर्ड की जाँच करने उपरान्त पाया गया कि उपरोक्त बिल/वाऊचर से सम्मिलित श्री चन्द्र पाल को ₹3,600 व श्री देश राज को ₹3,600 की रसीदें विपत्र के साथ संलग्न नहीं है। अतः सम्बन्धित रसीदों को ढूंढ कर आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) वाऊचर संख्याः 82, दिनांक 22.08.11 द्वारा ₹38,467 का भुगतान बिजली के बिलों का दर्शाया गया है। ऑडिट द्वारा अभिलेख की जाँच करने उपरान्त पाया गया कि सम्बन्धित बिल के साथ निम्नलिखित रसीदें संलग्न नहीं हैं :—

क्रमांक	**मिटर संख्या**	**राशि**
1	**सी0एम0सी0—19**	**6,650**
2	**सी0एम0सी0—47**	**30,370**

अतः वांछनीय रसीदों को ढूंढ कर आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखानी सुनिश्चित की जाए।

14 <u>दूरभाष नम्बर 236384 के उपयोग बारे</u> :—

ऑडिट द्वारा मन्दिर न्यास के अभिलेख की जाँच पड़ताल उपरान्त पाया गया कि मई, 2011 से बिना किसी उपयोग से दूरभाष नम्बर 236384 के बिल का भुगतान निम्नविवरणानुसार किया जा रहा है। यह दूरभाष मन्दिर अधिकारी के निवास पर लगाया गया था जबकि माह मई, 2011 को नए मन्दिर अधिकारी के कार्य ग्रहण उपरान्त उन्होंने अपना निवास चामुण्डा न्यास के क्वाटर में नहीं रखा हैं।

दिनांक	**राशि**
06.07.11	120
12.08.11	243
01.10.11	242
01.12.11	243
31.01.12	243

अतः मन्दिर प्रशासन को परामर्श दिया जाता है कि इस दूरभाष को उपयोग में लाया जाए अन्यथा इसे सम्बन्धित विभाग में अस्थाई तौर पर जमा करवा दिया जाए ताकि अनावश्यक बिलों के भुगतान को रोका जा सके।

15 मन्दिर अधिकारी के आवास के सदुपयोग बारे :–

अभिलेख की जाँच करने उपरान्त पाया गया कि मन्दिर अधिकारी माता श्री चामुण्डा नन्दिकेश्वर न्यास का स्थानांतरण माह 05/2011 हुआ तथा नए मन्दिर अधिकारी ने अपना निवास माता श्री चामुण्डा न्यास के आवासीय मकान में नहीं रखा है तथा मन्दिर अधिकारी का क्वाटर खाली है। अतः ऑडिट द्वारा परामर्श दिया जाता है कि सम्बन्धित खाली क्वाटर को किसी न्यास के अन्य अधिकारी/कर्मचारी को आबंटित करने पर विवश किया जाए ताकि उक्त कवाटर का सदुपयोग हो सके।

16 सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ऑडिट को न दिखाने बारे :–

वाऊचर संख्याः 75, दिनांक 21.09.11 द्वारा ₹28,000 का भुगतान मैसर्ज माडरन टैक्नोलोजिज फरीदाबाद को चामुण्डा मन्दिर में सी0सी0 कैमरा लगाने हेतु किया गया दर्शाया गया है। कैमरा लगाने हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ऑडिट को नहीं दिखाई गई। अतः सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति लेकर आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखानी सुनिश्चित की जाए।

17 श्री सुरेश कुमार व लिपिक को दिए गए चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे बारे :–

श्री सुरेश कुमार व लिपिक को निम्नलिखित वाऊचरों अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान किया गया दर्शाया गया है :–

क्रमांक	वाऊचर संख्या	दिनांक	राशि
1	63	13.09.11	23,732
2	53	18.10.11	4,403

यह भुगतान 27.06.2011 से लगातार किया गया दर्शाया गया है। ऑडिट द्वारा अभिलेख की जाँच करने उपरान्त पाया गया कि सम्बन्धित कर्मचारी चिकित्सा भत्ते के रूप में ₹100 मासिक वेतन के साथ ले रहा है। नियमानुसार उसे केवल हास्पीटल में दाखिल रहने की अवस्था (Indoor Patient) में ही चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा देय बनता है जिससे सम्बन्धित रिकॉर्ड ऑडिट को नहीं दिखाया गया। अतः आपेक्षित रिकॉर्ड आगामी अंकेक्षण में दिखाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा अनुचित रूप से किए गए भुगतान की वसूली करनी सूनिश्चित की जाए।

18 **श्री जितेन्द्र नाथ कनिष्ठ अभियन्ता से मकान किराया भत्ता की वसूली बारे** :–

माह 07/11 में श्री जितेन्द्र नाथ कनिष्ठ अभियन्ता का स्थानांतरण श्री ब्रजेश्वरी माता कांगड़ा न्यास से माता श्री चामुण्डा नन्दिकेश्वर धाम डाड के लिए किया गया तथा श्री जितेन्द्र नाथ कनिष्ठ अभियन्ता ने जुलाई, 2011 में चामुण्डा न्यास में कार्य ग्रहण कर लिया। मन्दिर अधिकारी कांगड़ा के पत्र संख्याः 1458–63, दिनांक 24.11.11 के अनुसार श्री जितेन्द्र नाथ कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा माता श्री ब्रजेश्वरी देवी न्यास का क्वाटर खाली नहीं किया है जबकि सम्बन्धित कर्मचारी को माह 08/2011 से वेतन के साथ मकान किराया भत्ता ₹275 मासिक की दर से अनियमित रूप दिया जा रहा है जिस की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्रवाई आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

19 **श्री भुवनेश वरिष्ठ लिपिक की सेवा पंजिका पूर्ण करने बारे** :–

ऑडिट द्वारा मन्दिर न्यास के अभिलेख की जाँच उपरान्त पाया गया कि श्री भुवनेश वरिष्ठ लिपिक की सेवा पंजिका पूर्ण नहीं है। सेवा पंजिका दिनांक 01.09.2007 को सम्बन्धित कर्मचारी का मूल वेतन ₹4,020 दर्शाया गया है तथा इसके बाद सर्विस बुक में कोई भी प्रविष्टि नहीं की गई है जबकि उक्त कर्मचारी के माह 09/11 के वेतन में मुल वेतन ₹8,020 तथा ग्रेड पे ₹2400 दर्शाया गया है। अतः सम्बन्धित कर्मचारी की सर्विस बुक को पूर्ण करके आगामी अंकेक्षण में दिखाना सुनिश्चित किया जाए।

20 **₹400 की पैट्रोल पर खर्चे की वसूली बारे** :–

वाऊचर संख्याः 21, दिनांक 06.10.11 द्वारा ₹5,862 का भुगतान गाड़ी नम्बर (बस) एच0पी0–07–3215 में डलवाए गए डीजल का दर्शाया गया है यह खर्चा नवरात्रों में ग्रह रक्षकों को शिमला से चामुण्डा तथा वापिस शिमला बस द्वारा ले जाने का सम्बन्धित बस में डलवाए गए तेल का दर्शाया गया है विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्रमांक	बिल नम्बर	मात्रा	सर्विस स्टेशन पैट्रोल पम्प	राशि
1	031408 28.09.11	60 लि0 डीजल	हि0प्र0 राज्य सहकारी एवं उपभोक्त संघ सीमित	2,424.20
2	327 04.10.11	75 लि0 डीजल	चामुण्डा फिलिंग स्टेशन योल	3,031.50

3	328 04.10.11	पैट्रोल	चामुण्डा फिलिंग स्टेशन योल	400.00
			कुल योग	**₹5,865.70**

अतः बस में **₹**400 का पैट्रोल डलवाने का कोई भी औचित्य नहीं बनता है क्योंकि बस में संचालन डीजल द्वारा किया जाता है अतः पैट्रोल के क्रय हेतु भुगतान की गई राशि का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यािा वसूली चूककर्त्ता से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्रवाई आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाए।

21 **लघु आपत्ति विवरणिका** :– यह अलग से जारी नहीं की गई है।

22 **निष्कर्ष** :– मन्दिर न्यास के लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–9

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)198/99–खण्ड–5–6913–6916, दिनांक 01.09.2012, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित की जाती है :–

(1) आयुक्त एवं सचिव (भाषा) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2

(2) अध्यक्ष मन्दिर एवं उपायुक्त कांगड़ा स्थित धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश

(3) निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–9

पंजीकृत :– (4) मन्दिर अधिकारी, मन्दिर न्यास माता श्री चामुण्डा नन्दिकेश्वर, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर शीघ्र इस विभाग को प्रेषित करें।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–9

परिशिष्ट–''क''

श्री चामुण्डा नन्दिकेश्वर मन्दिर न्यास चामुण्डा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखों के अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाए गए अनिर्णीत पैरों की स्थिति :–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

मन्दिर न्यास द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में निपटारे हेतु लम्बित पड़े पैरों पर की गई कार्रवाई की जाँच की गई तथा जिन पैरों का निपटारा हो सकता था मौके पर कर दिया गया। परन्तु गम्भीर प्रवृति के पैरों (मुख्यतः सोने, चांदी के पुराने अभिलेख से सम्बन्धित) पर विशेष कार्रवाई नहीं की गई। अतः यह मामला आयुक्त (मन्दिर) के ध्यान में विशेष रूप से लाया जाता है ताकि इस प्रकार के प्रकरणों में भी अविलम्ब कार्रवाई अमल में लाई जा सके और चूककर्त्ता से वसूली की जा सके। वर्तमान अंकेक्षण के पश्चात निपटारे हेतु शेष पड़े पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/94 से 12/98

1	पैरा 5(ख)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(ग)	अनिर्णीत
3	पैरा 5(च)	अनिर्णीत
4	पैरा 6(ख)(2)	अनिर्णीत
5	पैरा 6(ख)(3)	अनिर्णीत
6	पैरा 25(क)	अनिर्णीत
7	पैरा 25(ग)	अनिर्णीत
8	पैरा 25(घ)	अनिर्णीत
9	पैरा 25(ङ)	अनिर्णीत
10	पैरा 25(च)	अनिर्णीत
11	पैरा 29(ग)	अनिर्णीत
12	पैरा 45	अनिर्णीत

<u>अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.2000 से 31.12.2000</u>

1	पैरा 7(ख)	अनिर्णीत	
2	पैरा 7(ग)	अनिर्णीत	
3	पैरा 8(क)	अनिर्णीत	
4	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत	
5	पैरा 13(2)	अनिर्णीत	

<u>अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.2001 से 31.12.2001</u>

1	पैरा 6(4)	अनिर्णीत	
2	पैरा 17(ख)(2)	आंशतः निर्णीत	(मद संख्या 8, 9 में दर्ज राशि ₹17,140 की वसूली सुलभ इन्ट्रनैशनल के बिल से माप पुस्तिका 35/69 में कर ली गई है)

<u>अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.2002 से 31.12.2002</u>

1	पैरा 5(क)(1 से 5)	अनिर्णीत	
2	पैरा 5(क)(6)(ए0बी0सी0डी0)	अनिर्णीत	
3	पैरा 5(क)(7 से 8)	अनिर्णीत	
4	पैरा 5(ख)	अनिर्णीत	
5	पैरा 6(ङ)	अनिर्णीत	
6	पैरा 6(ञ)(1)	अनिर्णीत	
7	पैरा 11(क)(1)	अनिर्णीत	
8	पैरा 11(क)(2)	अनिर्णीत	
9	पैरा 11(क)(3)	अनिर्णीत	
10	पैरा 11(क)(4)	अनिर्णीत	
11	पैरा 12	अनिर्णीत	

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.2003 से 31.12.2004

1	पैरा 5(ख)(ग)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(घ)	अनिर्णीत
3	पैरा 5(ङ)	अनिर्णीत
4	पैरा 6	अनिर्णीत
5	पैरा 7	अनिर्णीत
6	पैरा 12(क)	अनिर्णीत
7	पैरा 12(ख)	अनिर्णीत
8	पैरा 15	अनिर्णीत
9	पैरा 33(1)	अनिर्णीत
10	पैरा 33(2)	अनिर्णीत

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.2005 से 31.12.2005

1	पैरा 7(क)	अनिर्णीत
2	पैरा 13	अनिर्णीत
3	पैरा 16	अनिर्णीत

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.2006 से 31.12.2007

1	पैरा 10	अनिर्णीत
2	पैरा 11	अनिर्णीत
3	पैरा 21	अनिर्णीत

अतिरिक्त निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 के निरीक्षण प्रतिवेदन जोकि पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)(2)(15)(14)198/99, दिनांक 06.04.2009 द्वारा जारी किया गया में सम्मिलित पैरे :–

1	पैरा 4(क)(1)	अनिर्णीत	(अन्तर का मिलान किया जाना शेष है)
2	पैरा 4(क)(2)	अनिर्णीत	

3	पैरा 4(क)(3)	अनिर्णीत	

<u>अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.2008 से 31.12.2009</u>

1	पैरा 2	निर्णीत	
2	पैरा 4	निर्णीत	(शुद्धी उपरान्त)
3	पैरा 5	अनिर्णीत	
4	पैरा 6(i)	अनिर्णीत	
5	पैरा 6(ii)	अनिर्णीत	
6	पैरा 7(i)	अनिर्णीत	
7	पैरा 7(ii)	अनिर्णीत	
8	पैरा 7(iii)	अनिर्णीत	
9	पैरा 8(i)	अनिर्णीत	
10	पैरा 8(ii)	अनिर्णीत	
11	पैरा 9	अनिर्णीत	
12	पैरा 11	अनिर्णीत	
13	पैरा 12(i)	अनिर्णीत	
14	पैरा 12(ii)	अनिर्णीत	

<u>अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.2010 से 31.12.2010</u>

1	पैरा 2	निर्णीत	
2	पैरा 3	निर्णीत	(नवीनतम वित्तीय स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों में दर्शाई गई है)
3	पैरा 4	अनिर्णीत	
4	पैरा 5	अनिर्णीत	
5	पैरा 6	निर्णीत	(वसूली देख ली गई है)
6	पैरा 7	निर्णीत	(वसूली देख ली गई है)

7	पैरा 8	अनिर्णीत	
8	पैरा 9	निर्णीत	(यह पैरा वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों में प्रारूपित है)
9	पैरा 10	निर्णीत	(नियमों में संशोधन देख लिया है)
10	पैरा 11	अनिर्णीत	
11	पैरा 12	अनिर्णीत	
12	पैरा 13	अनिर्णीत	
13	पैरा 14	अनिर्णीत	
14	पैरा 15	निर्णीत	(दिए गए उत्तर अनुसार)
15	पैरा 16	निर्णीत	(वसूली देख ली है)
16	पैरा 17	निर्णीत	(₹224 की वसूली रसीद संख्याः 31236, दिनांक 20.07.11 द्वारा कर ली गई है)
17	पैरा 18	निर्णीत	
18	पैरा 19	निर्णीत	(दिए गए उत्तर अनुसार)
19	पैरा 20	निर्णीत	
20	पैरा 21	निर्णीत	(₹278 की वसूली रसीद संख्याः 31239, दिनांक 20.07.11 द्वारा कर ली गई है)
21	पैरा 22	निर्णीत	

(अनूप कुमार घारू)